रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 73] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 11, 1985/माघ 22, 1906
No. 73] NEW DELHI, MONDAY, FEB 11, 1985/MAGHA 22, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1985

का. आ 108 (अ) —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, राज्य सभा में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट करने वाली घोषणा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है —

घोषणा

बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचित ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि :—

फगुनी राम,
निवासी ग्राम—मंकसिमवां,
पो.—श्रीमपुर मंकसिमवां,
जिला—गया ।

उस सदन में,

श्री महावीर प्रसाद के पद-त्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

ह./-
चन्द्र शेखर शर्मा, रिटर्निंग आफिसर ।"

स्थान—बिहार विधान सभा,
भवन, पटना ।

दिनांक—7 फरवरी, 1985 ।

[सं. एफ. 13/(1)/85-वि.-2]
के. सुब्रमणियन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 1985

S.O. 108(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of States is published for general information :—

DECLARATION

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Bihar.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Faguni Ram, resident of Village—Mankshiawan, P.O. Shimpur Mankshiawan, District—Gaya

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House having become vacant by the resignation of Shri Mahabir Prasad.

Place : Bihar Legislative Assembly Building, Patna.
Dated : The 7th February, 1985

Sd/-
(Chander Shekhar Sharma)
Returning Officer,
Bihar Vidhan—Sabha."

[F. No. 13(1)/85-Leg.II]
K. SUBRAMANIAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985